"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2005—आश्विन 8, शक 1927

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-1-2.2005/एक/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997), उप सचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालन संचालक, खनिज विकास निगम को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पुनर्वास जिला दंतेवाड़ा तथा पदेन उप सचिव, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/1/2.—डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से. (1971), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा खेल एवं युवक कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री व्ही. के. कपूर, भा.प्र.से. (1972), अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, नगरीय प्रशासन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

4. श्री एम. के. राऊत, भा.प्र.से. (1984) सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, संसदीय कार्य विभाग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, संसदीय कार्य तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984), सचिव, श्रम विभाग एवं श्रम आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, सहकारिता तथा खेल एवं युवक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री दलेई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. एच. एल. प्रजापति, सचिव, सहकारिता विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

7. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री सुब्रत साहू द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राऊत प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. विजयवर्गीय,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 2-4/2001/1/एक.—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृ. क्रमांक 7068/21-ब (छ.ग.) 2005, दिनांक 2-9-2005 के संदर्भ में श्री तपन कुमार चक्रवर्ती (उच्च न्यायिक सेवा) के वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक राज्यपाल सचिवालय में राज्यपाल के विधि सलाहकार के पद पर पदस्थ/नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. मिंज,** संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर भा.प्र.से., संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 21-9-2005 से 24-9-2005 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-9-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.'

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग., रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2005

क्रमांक ई-7/8/2005/1/2.—सुश्री अमृता सोनी, भा.प्र.से.,अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कांकेर को दिनांक 13-9-2005 से 24-9-2005 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 10, 11 एवं 25-9-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. सुश्री सोनी, भा.प्र.से. अवकाश से लौटने पर अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री सोनी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनी, भा.प्र.से., अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी,** अवर सचिव.

---

## ऊर्जा विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ-10-2/2005/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा में नवीन उप संभागीय कार्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. कोरबा उप संभाग के अंतर्गत कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले होंगे, जिसका मुख्यालय कोरबा होगा.

3. कोरबा में नये उप संभाग की स्थापना हेतु पद निर्माण आवर्ती व्यय नियमानुसार होगा :—

| क्रमांक | पदनाम | वेतनमान | पद संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सहायक अभियंता, (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक. | 8000-13500 | 01 |
| 2. | उप अभियंता | 5000-8000 | 02 |
| 3. | सहायक श्रेणी-दो | 4000-6000 | 01 |
| 4. | सहायक ग्रेड-तीन | 3050-4590 | 02 |
| 5. | विद्युतकार | 3050-4590 | 01 |
| 6. | जांच अनुचर | 2740-4450 | 01 |
| 7. | भृत्य | 2550-3200 | 01 |
| | | | कुल पद 09 |

4. उपरोक्त नवीन उप संभागीय कार्यालय कोरबा की स्थापना के लिए आवर्ती रुपए 7.60 लाख विमुक्त किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. यह व्यय मांग संख्या 12-2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103 संग्रह प्रभार बिजली शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

5. उपरोक्त व्यय हेतु वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1434/बजट/5/वित्त/चार/2005 द्वारा वित्त विभाग की सहमति अनुसार जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. के. मिश्रा,** संयुक्त सचिव.

## उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 1-42/2005/42.—राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1990 में प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग-महाविद्यालयों एवं पॉलीटेकनिक संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति/पदोन्नति तथा संबंधित सेवा भर्ती नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

(1) मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1990 के नियम-6 के अधीन अनुसूची-दो में क्रमशः प्राध्यापक और प्रवाचक की नियुक्ति के लिये 100% सीधी भर्ती के प्रावधान के स्थान पर 50% लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय पदोन्नति एवं 50% लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती करने का प्रावधान किया जाए.

(2) उपरोक्त नियमों में ही नियम 6 के अधीन अनुसूची-दो में उल्लिखित पॉलीटेकनिक/कन्या पॉलीटेकनिक में विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति के लिये 100% सीधी भर्ती के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर "50% लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा 50% लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय पदोन्नति" अंकित किया जाए.

(3) विभागाध्यक्ष से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये अनुभव की शर्त, जिसका उल्लेख नियम 14(1) की अनुसूची-चार के द्वितीय प्रविष्टि के कालम-4 में पांच वर्ष किया गया है, को घटाकर तीन वर्ष किया जाए.

(4) तद्नुसार ही छत्तीसगढ़ की इन सेवाओं के लिये सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राजेश त्रिपाठी**, उप-सचिव.

---

## विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7068/21-ब (छ.ग.) 2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 522/दो-30/2001 दिनांक 31-8-2005 के अनुपालन में श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम की सेवायें राज्यपाल सचिवालय में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**टी. पी. शर्मा**, प्रमुख सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7261/डी-2176/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 555/दो-15-2/2005/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री हीरा सिंह मरकाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, स्थान अंबिकापुर को दिनांक 1-10-2005 से कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़ में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2005

फा. क्र. 565/डी-2174/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 553/दो-2-101/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री माधव प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अंबिकापुर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक अतिरिक्त सचिव के पद पर विधि और विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2005

फा. क्र. 565/डी-2174/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 553/दो-2-101/2001/गोपनीय/2005, दिनांक 8-9-2005 के अनुपालन में श्री अशोक कुमार पोद्दार, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) अंबिकापुर, को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर में उपसचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2005

फा. क्र. 7332/डी-2170/21-ब/छ.ग./05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड-एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा निम्नलिखित न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारियों को आगामी आदेश होने तक, उच्च न्यायिक सेवा में तदर्थ रूप से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर (फास्ट ट्रेक कोर्ट) में कार्य करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं :—

1. श्री गोरेलाल सोनवानी
2. श्री मकरध्वज जगदल्ला
3. श्री भुनेश्वर राम
4. श्री वीरसिंग सलाम
5. श्री संजय कुमार जायसवाल
6. श्री कमल लाल चरयानी
7. श्री जयदीप विजय निमोनकर
8. श्री नूरदीन तिगाला
9. श्री नरेन्द्र सिंह चावला
10. श्रीमती मीनाक्षी गोन्डाले
11. श्री रामकुमार तिवारी
12. श्री जगदंबा राय
13. श्री अरविन्द कुमार वर्मा
14. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
15. डाक्टर लाल कटकवार
16. श्रीमती सुषमा सावंत
17. श्री रमाशंकर
18. श्री रेशम लाल कुर्रे

19. श्री विजय कुमार एक्का
20. श्री राकेश विहारी घोरे
21. श्री आनंद कुमार ध्रुव
22. श्री गनेशराम सान्डे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. सामंत रे,** प्रभारी सचिव.

---

## परिवहन विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-13/दो/आठ-परि/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के खण्ड (तीन) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके शासकीय वाहन के अग्रभाग में लाल/पीली बत्ती लगाने हेतु विनिर्दिष्ट करता है.

1. **लालबत्ती के लिए :—**

   (1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण
   (सेवानिवृत न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय)

2. **पीलीबत्ती के लिए :—**

   (1) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय
   छत्तीसगढ़, बिलासपुर.

वाहन में अधिकारी स्वयं सफर न कर रहे हों तो लाल/पीली बत्ती को ढकना अनिवार्य है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल टुटेजा,** उप-सचिव.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | ताला | 1.96 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं., बेमेतरा. | मोहभट्ठा व्यपवर्तन में प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | नवागढ़ | ढनढनी | 0.09 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं., बेमेतरा. | भदौरा व्यपवर्तन में प्रभावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | भुरकी | 4.69 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं., बेमेतरा. | भुरकी जलाशय योजना के नहर में प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/11/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | नवागढ़ | झाल | 2.52 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सं., बेमेतरा. | झाल जलाशय के डुबान में प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | ताला | 0.23 | कार्या. अ.वि.अ. लो.नि.वि. बेमेतरा. | ताला पहुंच मार्ग निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/13/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | नवागढ़ | बैजलपुर प. ह. नं. 13 | 10.04 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | लालपुर जलाशय योजना निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/14/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | नवागढ़ | लालपुर प.ह.नं. 13 | 1.86 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | लालपुर जलाशय योजना निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/15/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | अडबंधा | 0.06 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | बोहारडीह माइनर निर्माण में प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/16/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | ढोलिया<br>प.ह.नं. 23 | 3.32 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | ढोलिया जलाशय निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/19/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | फरी | 5.21 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | हथमुड़ी व्यप. में प्रभावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/20/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | ओटेबंद प.ह.नं. 26 | 1.95 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | हथमुड़ी व्यप. में प्रभावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/22/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | खिलोरा | 0.42 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | तिलईकुड़ा माइनर में प्रभावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/23/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | तिलईकुड़ा | 1.76 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | तिलईकुड़ा माइनर में प्रभावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/24/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 6-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे, उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | अमोरा | 0.04 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | हथमुड़ी व्यपवर्तन में प्रभावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/25/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| दुर्ग | बेमेतरा | अमोरा | 0.13 | कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (सेतु निर्माण) रायपुर संभाग, रायपुर. | शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जवाहर श्रीवास्तव**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2005

क्रमांक/07/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जशपुर | पत्थलगांव | राजाआमा प.ह.नं. 19 | 16.191 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़. | खमगढ़ा जलाशय के डूबान क्षेत्र पूरक. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2005

क्रमांक/08/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जशपुर | पत्थलगांव | कोतबा प.ह.नं. 21 | 10.475 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़. | खमगढ़ा जलाशय के आर. बी. सी. मुख्य नहर का निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दुर्गेश मिश्रा,** कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

क्रमांक 8 अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेण्ड्रारोड | कोरजा | 37.99 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड. | गांगपुर जलाशय डूब क्षेत्र हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकासशील,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 13 सितम्बर 2005

क्रमांक 6479/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कोरिया | बैकुण्ठपुर | छिंदिया | 0.64 | कार्यपालन यंत्री, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बैकुण्ठपुर. | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमीर अली**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 1 अगस्त 2005

रा. प्र. क्र. 7 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सूरजपुर | (1) परशुरामपुर | 1.367 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर. | परशुरामपुर जलाशय के वितरक नहरों के निर्माण हेतु. |
| | | (2) सुरता | 0.414 | | |
| | | (3) अक्षयपुर | 0.170 | | |
| | | योग | 1.951 | | |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुआ**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नेगुरडीह, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 590/1 | 0.020 |
| योग | 0.020 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जांजगीर केरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सोनमणि बोरा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक 710/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8-अ/82/सन् 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुर, प. ह. नं. 116
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-41.85 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 432 | 1.33 |
| 433 | 0.10 |
| 438 | 0.21 |
| 440 | 0.36 |
| 444 | 0.24 |
| 451 | 0.51 |
| 452 | 0.66 |
| 454 | 0.11 |
| 457 | 0.25 |
| 488 | 0.27 |
| 434 | 0.10 |
| 435 | 0.08 |
| 436 | 0.17 |
| 437 | 0.12 |
| 441 | 0.37 |
| 443 | 0.43 |
| 445 | 0.25 |
| 447 | 0.30 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 453 | 0.59 |
| 449 | 0.23 |
| 450 | 0.13 |
| 464 | 0.46 |
| 458 | 0.96 |
| 461 | 0.28 |
| 675 | 0.58 |
| 676 | 0.20 |
| 459 | 0.17 |
| 487 | 0.24 |
| 460 | 1.12 |
| 462 | 0.17 |
| 463/1 | 1.34 |
| 463/2 | 0.26 |
| 486 | 0.48 |
| 465 | 0.17 |
| 483 | 0.53 |
| 484 | 0.10 |
| 466 | 1.00 |
| 480 | 0.36 |
| 481 | 0.40 |
| 467 | 0.32 |
| 468/3 | 0.07 |
| 482 | 0.20 |
| 468/1 | 0.46 |
| 479 | 0.01 |
| 485 | 0.92 |
| 489 | 1.04 |
| 490 | 1.10 |
| 491 | 1.18 |
| 492 | 0.28 |
| 495 | 0.14 |
| 497 | 0.27 |
| 658 | 0.11 |
| 661 | 1.05 |
| 493 | 0.47 |
| 494 | 0.30 |
| 659 | 0.38 |
| 660 | 0.37 |
| 501 | 1.57 |
| 662 | 0.86 |
| 666 | 0.22 |
| 668 | 0.14 |
| 672 | 0.34 |
| 674/2 | 0.16 |
| 665 | 1.12 |
| 670 | 0.40 |
| 674/1 | 0.15 |
| 669 | 0.30 |
| 673 | 0.68 |
| 667 | 0.56 |
| 498 | 0.32 |
| 671 | 1.81 |
| 677 | 0.70 |
| 624 | 0.14 |
| 685 | 0.02 |
| 686 | 0.08 |
| 687 | 2.29 |
| 688 | 1.14 |
| 693 | 0.10 |
| 626 | 0.24 |
| 499 | 1.28 |
| 657 | 0.04 |
| 468/2 | 0.18 |
| 430 | 1.00 |
| 423 | 0.32 |
| 420 | 0.40 |
| 422 | 0.10 |
| 421 | 0.17 |
| 414 | 0.40 |
| 472 | 0.01 |
| 412/5 | 0.07 |
| 412/2 | 0.15 |
| 412/3 | 0.02 |
| 473 | 0.07 |
| योग 92 | 41.85 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-धरमपुर जलाशय योजना के डुबान कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 08/82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) सम्पत्तियों का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुरा, प. ह. नं. 16

| खसरा नम्बर | वृक्षों की संख्या | |
|---|---|---|
| (1) | (2) | |
| 432 | महुआ | 39 |
| | साजा | 19 |
| | चार | 05 |
| | तेन्दू | 12 |
| | धौरा | 02 |
| | आंवला | 01 |
| | हर्रा | 02 |
| | जामुन | 01 |
| | रोहिना | 01 |
| | योग | 84 |
| 433 | महुआ | 02 |
| | चार | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | योग | 04 |
| 438 | महुआ | 06 |
| | साजा | 07 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 02 |
| | आंवला | 01 |
| | बहेरा | 02 |
| | योग | 20 |
| 440 | महुआ | 06 |
| | साजा | 01 |
| | तेन्दू | 02 |
| | आंवला | 01 |
| | बीजा | 01 |
| | सागोन | 01 |
| | योग | 12 |
| 444 | महुआ | 05 |
| | साजा | 06 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 01 |
| | हर्रा | 02 |
| | कौहा | 01 |
| | खम्हार | 01 |
| | योग | 17 |
| 451 | साजा | 01 |
| | कौहा | 04 |
| | कोसम | 02 |
| | सेनहा | 02 |
| | कसही | 01 |
| | योग | 10 |
| 452 | बहेरा | 01 |
| 454 | महुआ | 01 |
| | साजा | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | योग | 03 |
| 457 | महुआ | 03 |
| | साजा | 02 |
| | बीजा | 01 |
| | योग | 06 |
| 488 | साजा | 04 |
| | सागौन | 01 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| | चार | 01 |
| | खम्हार | 01 |
| | तेन्दू | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | बीजा | 01 |
| | कोसम | 01 |
| | सेनहा | 01 |
| | योग | 12 |
| 434 | महुआ | 01 |
| | साजा | 02 |
| | चार | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | कौहा | 03 |
| | बहेरा | 02 |
| | कोसम | 01 |
| | योग | 11 |
| 435 | महुआ | 01 |
| | साजा | 03 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 01 |
| | कौहा | 02 |
| | बहेरा | 02 |
| | सेनहा | 01 |
| | योग | 11 |
| 436 | महुआ | 01 |
| | साजा | 01 |
| | चार | 01 |
| | योग | 03 |
| 437 | महुआ | 02 |
| | साजा | 01 |
| | योग | 03 |
| 441 | साजा | 12 |
| | चार | 02 |
| | मोदे | 01 |
| | कौहा | 07 |
| | बहेरा | 04 |
| | कोसम | 01 |
| | योग | 27 |
| 433 | महुआ | 03 |
| | साजा | 11 |
| | चार | 03 |
| | धौरा | 02 |
| | बहेरा | 02 |
| | खम्हार | 01 |
| | काके | 01 |
| | मुरही | 01 |
| | योग | 24 |
| 445 | महुआ | 01 |
| | साजा | 07 |
| | आंवला | 01 |
| | कौहा | 02 |
| | बहेरा | 03 |
| | कसही | 01 |
| | सागौन | 01 |
| | योग | 16 |
| 447 | महुआ | 07 |
| | साजा | 08 |
| | चार | 02 |
| | धौरा | 01 |
| | जामुन | 02 |
| | कौहा | 02 |
| | बहेरा | 01 |
| | बीजा | 01 |
| | कसही | 03 |
| | धनबहार | 01 |
| | योग | 28 |
| 453 | महुआ | 02 |
| | साजा | 06 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| | सागौन | 01 |
| | खम्हार | 01 |
| | कांके | 01 |
| | मुरही | 02 |
| | योग | 13 |
| 449 | महुआ | 01 |
| | साजा | 01 |
| | धौरा | 02 |
| | जामुन | 01 |
| | मोदे | 02 |
| | कौहार | 07 |
| | कोसम | 01 |
| | सेनहा | 02 |
| | मांज | 01 |
| | मुर्रु | 01 |
| | योग | 19 |
| 450 | साजा | 01 |
| | धौरा | 01 |
| | कौहा | 03 |
| | बीजा | 01 |
| | योग | 06 |
| 464 | महुआ | 06 |
| | साजा | 04 |
| | धौरा | 02 |
| | मोदे | 04 |
| | बहेरा | 01 |
| | धनबहार | 01 |
| | धोबनी | 01 |
| | योग | 19 |
| 458 | महुआ | 07 |
| | साजा | 13 |
| | चार | 05 |
| | तेन्दू | 02 |
| | धौरा | 01 |
| | जामुन | 01 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| | रोहिना | 01 |
| | मोदे | 01 |
| | कौहा | 02 |
| | बहेरा | 03 |
| | बीजा | 03 |
| | कोसम | 01 |
| 458 | सेनहा | 03 |
| | कसही | 03 |
| | धनबहार | 01 |
| | कर्रा | 01 |
| | अमोदी | 02 |
| | योग | 71 |
| 461 | – | |
| 675 | महुआ | 04 |
| | साजा | 02 |
| | चार | 02 |
| | तेन्दू | 01 |
| | मोदे | 02 |
| | बहेरा | 02 |
| | योग | 13 |
| 676 | महुआ | 02 |
| | साजा | 04 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 02 |
| | रोहिना | 01 |
| | मोदे | 01 |
| | बहेरा | 03 |
| | भिरहा | 01 |
| | योग | 15 |
| 459 | साजा | 01 |
| | मोदे | 01 |
| | योग | 02 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 487 | साजा | 02 |
| | चार | 02 |
| | आंवला | 01 |
| | मोदे | 01 |
| | सेनहा | 01 |
| | योग | 07 |
| 460 | महुआ | 09 |
| | साजा | 11 |
| | चार | 12 |
| | तेन्दू | 01 |
| | धौरा | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | मोदे | 07 |
| | बीजा | 02 |
| | कोसम | 01 |
| | कसही | 01 |
| | भिरहा | 02 |
| | कुर्रु | 01 |
| | कर्रा | 01 |
| | धोबनी | 02 |
| | काके | 01 |
| | योग | 53 |
| 462 | धौरा | 01 |
| | मोदे | 02 |
| | धोबनी | 01 |
| | योग | 04 |
| 463/1 | महुआ | 02 |
| | साजा | 10 |
| | चार | 07 |
| | धौरा | 03 |
| | आंवला | 01 |
| | हर्रा | 02 |
| | मोदे | 19 |
| | बहेरा | 01 |
| | बीजा | 02 |
| | सेनहा | 07 |
| | कसही | 01 |
| | भिरहा | 06 |
| | धनबहार | 01 |
| | कर्रा | 01 |
| | धोबनी | 04 |
| | सेम्हर | 02 |
| | योग | 69 |
| 463/2 | महुआ | 01 |
| | चार | 01 |
| | धौरा | 01 |
| | मोदे | 02 |
| | बीजा | 01 |
| | धोबनी | 01 |
| | पाकड | 01 |
| | योग | 08 |
| 486 | महुआ | 19 |
| | साजा | 04 |
| | चार | 09 |
| | जामुन | 01 |
| | कसही | 01 |
| | योग | 34 |
| 465 | तेन्दू | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | योग | 02 |
| 483 | महुआ | 03 |
| | साजा | 04 |
| | हर्रा | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | कौहार | 02 |
| | छाटा | 01 |
| | योग | 12 |
| 484 | जामुन | 01 |
| | कौहा | 02 |
| | योग | 03 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 466 | महुआ | 02 |
| | तेन्दू | 01 |
| | आंवला | 01 |
| | चमेटी | 02 |
| | कौहा | 02 |
| | डुमर | 01 |
| | योग | 09 |
| 480 | साजा | 01 |
| 481 | साजा | 01 |
| | तेन्दू | 02 |
| | धौरा | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | सेनहा | 02 |
| | योग | 09 |
| 467 | साजा | 02 |
| | तेन्दू | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | सेनहा | 01 |
| | योग | 05 |
| 482 | महुआ | 03 |
| | धौरा | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | योग | 05 |
| 468/1 | मोदे | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | सेनहा | 02 |
| | योग | 04 |
| 485 | सेनहा | 02 |
| | कौहा | 02 |
| | महुआ | 23 |
| | साजा | 04 |
| | सागौन | 01 |
| | चार | 02 |
| | तेन्दू | 02 |
| | धौरा | 01 |
| | आंवला | 02 |
| | जामुन | 01 |
| | रोहिना | 02 |
| | योग | 42 |
| 489 | गस्ती | 02 |
| | पाठा | 01 |
| | महुआ | 26 |
| | साजा | 29 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 02 |
| | धौरा | 01 |
| | आंवला | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | जामुन | 02 |
| | रोहिना | 02 |
| | मोदे | 02 |
| | कौहा | 01 |
| | बहेरा | 01 |
| | बीजा | 02 |
| | कसही | 04 |
| | योग | 78 |
| 490 | महुआ | 07 |
| | साजा | 13 |
| | चार | 04 |
| | धौरा | 03 |
| | आंवला | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | मोदे | 14 |
| | बीजा | 02 |
| | कोसम | 03 |
| | सेनहा | 02 |
| | खैर | 01 |
| | भिरहा | 02 |
| | कर्रा | 01 |
| | धोबनी | 01 |
| | योग | 55 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 491 | तेन्दू | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | बहेरा | 01 |
| | योग | 03 |
| 658 | महुआ | 01 |
| 661 | महुआ | 04 |
| | मोदे | 01 |
| | चमेटी | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | योग | 07 |
| 494 | कौहा | 06 |
| 695 | साजा | 01 |
| 501 | महुआ | 14 |
| | साजा | 01 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 02 |
| | आंवला | 02 |
| | हर्रा | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | रोहिना | 02 |
| | बीजा | 01 |
| | योग | 25 |
| 662 | महुआ | 02 |
| | तेन्दू | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | जामुन | 02 |
| | कौहा | 16 |
| | बहेरा | 01 |
| | योग | 23 |
| 666 | महुआ | 09 |
| | साजा | 03 |
| | धौरा | 02 |
| | रोहिना | 01 |
| | बहेरा | 01 |
| 674/2 | साजा | 02 |
| | योग | 18 |
| 665 | महुआ | 04 |
| 670 | महुआ | 02 |
| | साजा | 01 |
| | जामुन | 01 |
| | कौहा | 02 |
| 674/1 | महुआ | 02 |
| | योग | 08 |
| 669 | मोदे | 02 |
| | कौहा | 03 |
| | योग | 05 |
| 673 | महुआ | 11 |
| | साजा | 01 |
| | तेन्दू | 01 |
| | कोसम | 01 |
| | योग | 14 |
| 667 | हर्रा | 01 |
| | कौहा | 03 |
| | योग | 04 |
| 671 | महुआ | 04 |
| | साजा | 01 |
| | जामुन | 02 |
| | कौहा | 03 |
| | सेन्हा | 01 |
| | कसही | 01 |
| | योग | 12 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 677 | महुआ | 07 |
| | साजा | 01 |
| | धौरा | 01 |
| | हर्रा | 02 |
| | मोदे | 02 |
| | बहेरा | 01 |
| | सेनहा | 03 |
| | भिरहा | 03 |
| | कया | 01 |
| | योग | 21 |
| 624 | महुआ | 01 |
| | साजा | 01 |
| | चार | 02 |
| | बीजा | 01 |
| | योग | 05 |
| 685 | महुआ | 01 |
| 686 | महुआ | 05 |
| 687 | महुआ | 07 |
| | साजा | 04 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 03 |
| | हर्रा | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | बहेरा | 03 |
| | योग | 20 |
| 688 | महुआ | 17 |
| | साजा | 06 |
| | आंवला | 01 |
| | हर्रा | 01 |
| | मोदे | 02 |
| | चमेटी | 01 |
| | कौहा | 12 |
| | कोसम | 01 |
| | कसही | 01 |
| | योग | 42 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 626 | साजा | 01 |
| 499 | महुआ | 32 |
| | साजा | 16 |
| | चार | 01 |
| | तेन्दू | 03 |
| | धौरा | 04 |
| | हर्रा | 02 |
| 499 | जामुन | 01 |
| | रोहिना | 14 |
| | मोदे | 02 |
| | कौहा | 01 |
| | बहेरा | 01 |
| | बीजा | 01 |
| | सेनहा | 01 |
| | कसही | 01 |
| | कुम्ही | 01 |
| | योग | 81 |
| 468/2 | बहेरा | 01 |
| 430 | महुआ | 08 |
| | साजा | 11 |
| | चार | 10 |
| | हर्रा | 01 |
| | मांज | 01 |
| | योग | 31 |
| 423 | महुआ | 01 |
| 420 | महुआ | 11 |
| | साजा | 06 |
| | चार | 05 |
| | तेन्दू | 02 |
| | बहेरा | 03 |
| | पंडरी | 01 |
| | योग | 28 |
| 422 | साजा | 01 |
| 421 | साजा | 01 |

| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| 414 | महुआ | 01 |
| | साजा | 03 |
| | जामुन | 01 |
| | कौहा | 01 |
| | बहेरा | 02 |
| | योग | 08 |
| 412/2 | साजा | 05 |
| 412/5 | कोसम | 01 |
| | योग | 06 |
| 412/3 | कौहा | 01 |
| योग 80 | | 1227 |

महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2005

क्रमांक/711/भू-अर्जन/अ.वि.अ./4 अ/82/सन् 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम-खरोरा, प. ह. नं. 140

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 522 | 0.02 |
| 523 | 0.02 |
| 505 | 0.02 |
| 507 | 0.06 |
| 504 | 0.04 |
| 506 | 0.02 |
| 512 | 0.05 |
| 508 | 0.05 |
| 509 | 0.05 |
| 511 | 0.02 |
| 450 | 0.04 |
| 470/1 | 0.18 |
| 471 | 0.02 |
| 452 | 0.05 |
| 454 | 0.02 |
| 456 | 0.03 |
| 451 | 0.09 |
| 528 | 0.14 |
| योग 18 | 0.92 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कोडार जलाशय के अंतर्गत खरोरा उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर क्र. 2 के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. तिवारी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 जुलाई 2005

क्रमांक 23 अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.769 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 6/5, 6/6, 6/7 | 0.008 |
| 85/2, 85/4 | 0.065 |
| 76 | 0.020 |
| 79/1, 64 | 0.065 |
| 81/1 | 0.037 |
| 79/2, 82 | 0.004 |
| 85/3 | 0.008 |
| 71 | 0.032 |
| 72, 80 | 0.016 |
| 73, 74 | 0.012 |
| 27/1, 29/1 | 0.061 |
| 65 | 0.032 |
| 70, 75, 77/1 | 0.057 |
| 165, 27/2 | 0.117 |
| 171/2 | 0.004 |
| 5/2, 86 | 0.093 |
| 164/2 | 0.045 |
| 167/2 | 0.024 |
| 63 | 0.037 |
| 31 | 0.008 |
| 167/5 | 0.024 |
| योग | 0.769 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चांपी जलाशय के माइनर नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकासशील**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2005

क्रमांक/227/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-चेचानमेटा, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.44 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1393/2 | 0.02 |
| 1398 | 0.07 |
| 1442 | 0.16 |
| 1448/2 | 0.19 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1447 | 0.28 | 1419/2 | 0.01 |
| 1611/1722 | 0.48 | 1370 | 0.11 |
| 1599/1 | 0.13 | 1376/2 | 0.12 |
| 1608 | 0.12 | 1395 | 0.05 |
| 918 | 0.08 | 1440 | 0.09 |
| 1350 | 0.22 | 1444 | 0.28 |
| 1345 | 0.12 | 1452 | 0.06 |
| 1430 | 0.09 | 1448/1 | 0.89 |
| 1529/1 | 0.03 | 1595 | 0.52 |
| 1526 | 0.13 | 1600 | 0.42 |
| 1568 | 0.05 | 1610 | 0.57 |
| 1573 | 0.02 | 1397 | 0.03 |
| 1689/1 | 0.11 | 1347 | 0.09 |
| 1405 | 0.22 | 1424 | 0.25 |
| 1407 | 0.03 | 1598 | 0.08 |
| 1420 | 0.02 | 1504/1 | 0.08 |
| 1414/1 | 0.03 | 1530 | 0.06 |
| 1419/3 | 0.06 | 1570 | 0.09 |
| 1373 | 0.01 | 1687 | 0.08 |
| 1369 | 0.13 | 1402/2 | 0.09 |
| 1376/1 | 0.23 | 1406/1 | 0.09 |
| 1394 | 0.10 | 1406/3 | 0.11 |
| 1399 | 0.11 | 1410/1 | 0.08 |
| 1443 | 0.19 | 1410/6 | 0.05 |
| 1449 | 0.23 | 1414/2 | 0.10 |
| 1579 | 0.06 | 1422 | 0.14 |
| 1594 | 0.70 | 1374/2 | 0.07 |
| 1514 | 0.06 | 1375 | 0.92 |
| 1533 | 0.05 | 1599/2 | 0.08 |
| 919 | 0.05 | 1996 | 0.03 |
| 1348 | 0.07 | 1441 | 0.10 |
| 1574 | 0.13 | 1445 | 0.23 |
| 1429 | 0.02 | 1446 | 0.28 |
| 1689/2 | 0.04 | 1528 | 0.05 |
| 1527 | 0.03 | 1599/3 | 0.19 |
| 1569 | 0.06 | 1601 | 0.07 |
| 1686/1 | 0.07 | 916 | 0.10 |
| 1400 | 0.13 | 920 | 0.03 |
| 1406/1 | 0.09 | 1433 | 0.09 |
| 1410/5 | 0.01 | 1426 | 0.12 |
| 1374/1 | 0.07 | 1513 | 0.21 |
| 1419/4 | 0.11 | 1529/2 | 0.04 |
| 1415 | 0.04 | 1534 | 0.08 |
| | | 1572 | 0.02 |
| | | 1688 | 0.10 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1404/2 | 0.07 |
| 1404/1 | 0.05 |
| 1419/5 | 0.07 |
| 1410/7 | 0.03 |
| 1416/2 | 0.14 |
| 1417 | 0.12 |
| 1382 | 0.04 |
| 1378 | 0.12 |
| योग | 13.44 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ओड़िया जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 सितम्बर 2005

क्रमांक /228/अ-82/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़िया, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.70 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 52 | 0.03 |
| 105 | 0.05 |
| 55 | 0.10 |
| 83 | 0.08 |
| 91 | 0.74 |
| 57 | 0.42 |
| 86 | 1.10 |
| 101 | 0.94 |
| 88 | 0.25 |
| 63 | 0.70 |
| 67 | 0.25 |
| 73 | 0.21 |
| 82 | 0.89 |
| 445 | 0.41 |
| 170 | 0.37 |
| 165 | 0.28 |
| 201 | 0.10 |
| 70 | 0.03 |
| 90 | 0.61 |
| 93 | 0.12 |
| 98 | 0.60 |
| 173 | 0.27 |
| 95 | 0.10 |
| 103 | 0.09 |
| 62 | 0.46 |
| 56 | 0.96 |
| 85 | 0.10 |
| 94 | 2.56 |
| 71 | 0.16 |
| 92 | 0.15 |
| 174 | 1.13 |
| 58 | 0.04 |
| 198 | 0.09 |
| 202 | 0.02 |
| 76 | 0.11 |
| 89 | 0.28 |
| 164/1 | 1.93 |
| 182 | 1.14 |
| 166 | 0.78 |
| 68/1 | 3.70 |
| 72 | 0.16 |
| 80 | 0.23 |
| 100 | 0.20 |
| 108 | 0.19 |
| 172 | 0.22 |
| 444 | 0.74 |
| 102 | 0.79 |
| 53 | 0.13 |
| 197 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 87 | 0.35 |
| 69 | 0.33 |
| 84 | 0.39 |
| 96 | 0.48 |
| 187 | 0.40 |
| 61 | 0.56 |
| 200 | 0.11 |
| 66 | 0.53 |
| 79 | 0.03 |
| 163/1 | 0.02 |
| 169 | 0.41 |
| 164/4 | 0.19 |
| 199 | 0.22 |
| 68/2 | 3.58 |
| 78 | 0.12 |
| 81 | 0.04 |
| 99 | 0.45 |
| 171 | 1.19 |
| 175 | 1.14 |
| 48 | 2.00 |
| योग | 37.70 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मुढ़िया जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जवाहर श्रीवास्तव,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 जून 2005

क्रमांक-3 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-ब्रजनगर, प. ह. नं. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 906 | 0.19 |
| 909 | 0.02 |
| 910 | 0.13 |
| 911 | 0.04 |
| योग 4 | 0.38 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लटोरी कल्याणपुर मार्ग पर गलफुल्ली सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अगस्त 2005

क्रमांक-7 अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-परशुरामपुर, प. ह. नं. 67
सुरता, प. ह. नं. 67
अक्षयपुर, प. ह. नं. 68
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.798 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **ग्राम परशुरामपुर** | |
| 988 | 0.01 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 989 | 0.02 |
| | 1286 | 0.055 |
| | 1008 | 0.042 |
| | 1015 | 0.013 |
| | 1064 | 0.056 |
| | 1287 | 0.045 |
| | 2394 | 0.026 |
| | 1276 | 0.045 |
| | 1275 | 0.026 |
| | 1011 | 0.07 |
| | 1403 | 0.065 |
| | 1694 | 0.05 |
| | 1693 | 0.01 |
| | 1690 | 0.04 |
| | 1689 | 0.03 |
| | 1685 | 0.04 |
| | 1687 | 0.02 |
| | 1686 | 0.03 |
| | 1713 | 0.023 |
| | 718 | 0.02 |
| | 1740 | 0.016 |
| | 1398 | 0.03 |
| | 1363 | 0.055 |
| | 1399 | 0.04 |
| | 1399 | 0.04 |
| | 1362 | 0.055 |
| | 1356 | 0.033 |
| | 1451 | 0.04 |
| | 1452 | 0.09 |
| | 1471 | 0.08 |
| | 661 | 0.01 |
| | 664 | 0.05 |
| | 665 | 0.025 |
| | 667 | 0.053 |
| | 673 | 0.06 |
| योग | 36 | 1.367 |

ग्राम सुरता

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 113 | 0.02 |
| | 115 | 0.035 |
| | 117 | 0.035 |
| | 121 | 0.02 |
| | 223 | 0.05 |
| | 123 | 0.02 |
| | 124 | 0.02 |
| | 125 | 0.013 |
| | 132 | 0.048 |
| | 134 | 0.038 |
| | 136 | 0.095 |
| | 137 | 0.02 |
| योग | 12 | 0.414 |

ग्राम अक्षयपुर

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 604 | 0.02 |
| | 605/2 | 0.01 |
| | 603 | 0.03 |
| | 607 | 0.03 |
| | 608 | 0.02 |
| | 623 | 0.06 |
| योग | 6 | 0.17 |
| महायोग | | 1.798 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परशुरामपुर जलाशय की वितरक नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

रा.प्र.क्र. 3/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-जरहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.887 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2 | 0.170 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 3 | 0.049 |
| 4 | 0.121 |
| 6 | 0.008 |
| 7 | 0.008 |
| 8/1 | 0.049 |
| 8/2 | 0.008 |
| 8/3 | 0.073 |
| 31 | 0.370 |
| 32 | 0.240 |
| 33 | 0.650 |
| 36 | 0.049 |
| 401 | 0.040 |
| 414 | 0.101 |
| 415 | 0.090 |
| 413 | 0.210 |
| 416 | 0.008 |
| 410 | 0.360 |
| 411 | 0.020 |
| 406 | 0.081 |
| 404 | 0.040 |
| 405 | 0.081 |
| 403 | 0.061 |
| योग 2 | 887 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बतौली बगीचा के कि. मी. 8/6 पर साकिन सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

रा.प्र.क्र. 4/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बगडोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.130 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 414/3 | 0.049 |
| 781 | 0.020 |
| 411/4 | 0.040 |
| 1261 | 0.162 |
| 406/1 | 0.243 |
| 244 | 0.522 |
| 247/2 | 0.324 |
| 411/3 | 0.243 |
| 776 | 0.376 |
| 769 | 0.242 |
| 414/1 | 0.611 |
| 406/2 | 1.140 |
| 777/1 | 3.047 |
| 410/5 | 0.575 |
| 773 | 0.316 |
| 782 | 0.190 |
| 719/2 | 0.202 |
| 419/1 | 1.019 |
| 245 | 0.057 |
| 247/3 | 0.049 |
| 793 | 0.300 |
| 411/2 | 0.081 |
| 770 | 0.400 |
| 404/1 | 1.672 |
| 411/1 | 1.700 |
| 403/2 | 0.100 |
| 780 | 0.332 |
| 791/2 | 0.032 |
| 417 | 0.518 |
| 404/2 | 0.242 |
| 404/6 | 0.170 |
| 246 | 0.040 |
| 412 | 0.450 |
| 411/5 | 0.603 |
| 413 | 0.367 |
| 778/1 | 0.672 |
| 247/1 | 0.611 |
| 404/3 | 0.425 |
| योग | 18.130 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रजपुरी जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

रा.प्र.क्र. 5/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बतौली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 480 | 0.136 |
| योग | 0.136 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बतौली जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

रा.प्र.क्र. 6/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-49.375 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1050 | 0.058 |
| 1129 | 0.077 |
| 1135 | 0.073 |
| 1025 | 0.045 |
| 978/1 | 0.474 |
| 1126 | 0.101 |
| 1128 | 0.045 |
| 1288 | 0.308 |
| 1153 | 0.053 |
| 1143 | 0.012 |
| 1578 | 0.132 |
| 1148 | 0.397 |
| 1227 | 0.065 |
| 1579 | 0.028 |
| 1224 | 0.138 |
| 1238 | 0.162 |
| 1138/3 | 0.825 |
| 1157/3 | 0.421 |
| 1051 | 0.048 |
| 1055 | 0.081 |
| 1212 | 0.077 |
| 1072 | 0.032 |
| 2075/1 | 0.028 |
| 1270 | 0.348 |
| 1158 | 0.053 |
| 1123 | 0.239 |
| 1121 | 0.360 |
| 1120/4 | 0.097 |
| 1573 | 0.741 |
| 1222 | 0.097 |
| 1276 | 0.065 |
| 1580 | 0.004 |
| 1577 | 0.105 |
| 1205 | 0.057 |
| 1295/5 | 0.089 |
| 1208 | 0.409 |
| 1052 | 0.052 |
| 1300 | 0.081 |
| 1157/2 | 0.081 |
| 1587 | 0.162 |
| 1850 | 0.046 |
| 1536 | 0.809 |
| 1122 | 0.158 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1151 | 0.223 | 1250 | 0.417 |
| 1124 | 0.424 | 1538 | 0.429 |
| 1239 | 0.320 | 1287 | 0.129 |
| 1132 | 0.437 | 1570 | 0.290 |
| 1223 | 0.053 | 1142 | 0.097 |
| 1574 | 0.061 | 1571 | 0.571 |
| 1149 | 0.045 | 1147 | 0.032 |
| 1283 | 0.077 | 1226 | 0.117 |
| 1016 | 0.012 | 1576 | 0.275 |
| 1218/2 | 0.182 | 1245 | 0.166 |
| 1209 | 0.045 | 1582 | 0.032 |
| 1054 | 0.082 | 1173/2 | 0.223 |
| 1056 | 0.148 | 1157/1 | 0.130 |
| 1199 | 0.625 | 1179 | 0.150 |
| 1217 | 0.299 | 1131 | 0.113 |
| 1127 | 0.134 | 1030 | 0.308 |
| 1537 | 0.109 | 1034 | 0.016 |
| 1258 | 0.926 | 978/2 | 0.251 |
| 1152 | 0.239 | 1193/2 | 0.250 |
| 1141 | 0.016 | 1235 | 0.368 |
| 1144 | 0.450 | 1251 | 0.028 |
| 1146 | 0.806 | 1567 | 0.012 |
| 1225 | 0.061 | 1172 | 0.036 |
| 1575 | 0.049 | 1175 | 0.138 |
| 1027 | 0.134 | 1174 | 0.421 |
| 1581 | 0.324 | 1139 | 0.121 |
| 1173/1 | 0.219 | 1038/2 | 0.486 |
| 1290 | 0.142 | 1163 | 0.053 |
| 1214 | 0.316 | 1182 | 0.223 |
| 1053 | 0.032 | 1039 | 0.164 |
| 1130 | 0.045 | 1219 | 0.146 |
| 1262 | 0.297 | 1183 | 0.733 |
| 977/2 | 0.104 | 984 | 0.132 |
|  |  | 1200 | 0.028 |
|  |  | 1203 | 0.032 |
|  |  | 1246 | 0.259 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 1267 | 0.259 | 1184 | 0.294 |
| 1015/4 | 0.363 | 1157/2 | 0.113 |
| 1162 | 0.077 | 1167 | 0.036 |
| 1259 | 0.314 | 1299 | 0.085 |
| 1293/4 | 1.254 | 1207 | 0.028 |
| 1586 | 0.080 | 1193/1 | 0.238 |
| 1031 | 1.137 | 1195 | 0.057 |
| 1196 | 0.057 | 1188 | 0.129 |
| 1156/2 | 0.391 | 1202 | 0.028 |
| 1130/2 | 0.153 | 991/2 | 0.183 |
| 1236 | 0.117 | 1264 | 0.579 |
| 1247 | 0.150 | 1286 | 0.356 |
| 1274 | 0.020 | 1138 | 0.057 |
| 1018 | 0.502 | 1231/1 | 0.243 |
| 1178 | 0.206 | 1254 | 0.210 |
| 1035 | 0.028 | 970 | 0.040 |
| 1140 | 0.275 | 1043 | 0.109 |
| 1155 | 0.360 | 1253 | 0.502 |
| 1164 | 0.295 | 975 | 0.109 |
| 1186 | 0.182 | 1042 | 0.184 |
| 1177 | 1.092 | 1233 | 0.073 |
| 1025/3 | 0.045 | 1244 | 0.138 |
| 1189 | 0.057 | 1974 | 0.036 |
| 1187 | 0.061 | 1567 | 0.012 |
| 1203 | 0.170 | 1020 | 0.040 |
| 1205 | 0.049 | 1165 | 0.304 |
| 1252 | 0.506 | 1037 | 0.429 |
| 1268 | 0.119 | 1261 | 0.352 |
| 1017/2 | 0.109 | 1176 | 0.028 |
| 1059 | 0.134 | 1022 | 0.057 |
| 1256 | 0.182 | 1190/2 | 0.218 |
| 1213/1 | 0.425 | 981 | 0.065 |
| 1194 | 0.227 | 1230/1 | 0.355 |
| 1032 | 0.117 | 982 | 0.081 |
| 1231/2 | 0.372 | 1191 | 0.020 |
| 1259 | 0.364 | 1204 | 0.129 |
| 1190/3 | 0.139 | 1138 | 0.174 |
| 1242 | 0.061 | 1265 | 0.061 |
| 1197 | 0.032 | 1190/1 | 0.182 |
| 1568 | 0.084 | 1160 | 0.028 |
| 1019 | 0.106 | 1229 | 0.093 |
| 1024 | 0.029 | 1257 | 0.085 |
| 1036 | 0.409 | 1026 | 0.198 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1045 | 0.555 |
| 1033 | 0.020 |
| 976 | 0.032 |
| 1015/2 | 0.251 |
| 1234 | 0.733 |
| 1250 | 0.672 |
| 1568 | 0.084 |
| 1170 | 0.099 |
| 1021 | 0.049 |
| 1166 | 0.045 |
| 1138/1 | 1.825 |
| 1249 | 0.202 |
| 1185 | 0.134 |
| 1180 | 0.032 |
| 1211 | 0.388 |
| 1218/1 | 0.539 |
| 1293/6 | 0.688 |
| 983 | 0.514 |
| 1192 | 0.057 |
| 1216 | 0.029 |
| 1243 | 0.227 |
| 1266 | 0.502 |
| 1293/10 | 0.057 |
| 1161 | 0.522 |
| 1248 | 0.380 |
| 1293/2 | 0.324 |
| योग | 49.375 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बेलजोरा जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

क्रमांक 9/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-पेटला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1816 | 0.036 |
| 1855/2 | 0.243 |
| योग | 0.279 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- सीतापुर पेटला मार्ग पर माण्ड सेतु पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

क्रमांक 11/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलकोटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.006 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 223 | 0.065 |
| 224 | 0.162 |
| 228 | 0.105 |
| 229 | 0.016 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 230 | 0.016 |
| 254 | 0.032 |
| 256 | 0.016 |
| 255 | 0.024 |
| 253/1 | 0.020 |
| 257 | 0.073 |
| 251 | 0.081 |
| 253 | 0.016 |
| 1295 | 0.154 |
| 284 | 0.012 |
| 288/1 | 0.040 |
| 285 | 0.004 |
| 288/2 | 0.081 |
| 289 | 0.024 |
| 298 | 0.267 |
| 312 | 0.129 |
| 322 | 0.028 |
| 313 | 0.138 |
| 315 | 0.069 |
| 323 | 0.061 |
| 316 | 0.004 |
| 1305 | 0.032 |
| 317 | 0.113 |
| 319 | 0.162 |
| 321/1 | 0.032 |
| 321/2 | 0.073 |
| 325 | 0.012 |
| 326 | 0.004 |
| 1287 | 0.283 |
| 1277 | 0.173 |
| 1306 | 0.065 |
| 1261 | 0.008 |
| 1279 | 0.081 |
| 1252 | 0.131 |
| 1256/1 | 0.049 |
| 1256/2 | 0.081 |
| 1257 | 0.004 |
| 1258 | 0.061 |
| योग | 3.006 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गहिला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 12/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुनमेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.212 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 815 | 0.020 |
| 817 | 0.081 |
| 818 | 0.101 |
| 823 | 0.121 |
| 824 | 0.053 |
| 825 | 0.189 |
| 852 | 0.065 |
| 853 | 0.129 |
| 901/1 | 0.101 |
| 921 | 0.020 |
| 968 | 0.045 |
| 980/1 | 0.065 |
| 980/2 | 0.053 |
| 980/3 | 0.053 |
| 982 | 0.243 |
| 990 | 0.162 |
| 991 | 0.304 |
| 992 | 0.008 |
| 1004/2 | 0.053 |
| 1054/3 | 0.008 |
| 1425 | 0.040 |
| 1426 | 0.174 |
| 1428/2 | 0.162 |
| 1430 | 0.081 |
| 1432 | 0.057 |
| 1434 | 0.040 |
| 1440 | 0.065 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1441 | 0.049 |
| 1443 | 0.097 |
| 1444 | 0.028 |
| 1445 | 0.040 |
| 1447 | 0.045 |
| 1449 | 0.077 |
| 1450 | 0.057 |
| 1451/5 | 0.061 |
| 1451/6 | 0.024 |
| 1451/7 | 0.020 |
| 1451/12 | 0.061 |
| 1506 | 0.020 |
| 1508 | 0.008 |
| 1511 | 0.150 |
| 1526 | 0.105 |
| 1527 | 0.158 |
| 1528 | 0.057 |
| 1529 | 0.113 |
| 1597 | 0.008 |
| 1598 | 0.077 |
| 1599 | 0.053 |
| 1600 | 0.073 |
| 1601 | 0.097 |
| 1613 | 0.113 |
| 1616 | 0.073 |
| 1626 | 0.073 |
| 1627 | 0.073 |
| 1652/2 | 0.036 |
| 1653 | 0.045 |
| 1658 | 0.077 |
| 3376 | 0.129 |
| 3380/1 | 0.129 |
| 3381 | 0.057 |
| 3382 | 0.008 |
| 3384 | 0.036 |
| 3385 | 0.065 |
| 3395 | 0.012 |
| 3399 | 0.020 |
| 1663/2 | 0.049 |
| 1663/3 | 0.073 |
| 1664 | 0.036 |
| 1672 | 0.036 |
| 1673 | 0.093 |
| 2464 | 0.085 |
| 2561/1 | 0.162 |
| 2561/2 | 0.239 |
| 2563/1 | 0.279 |
| 2564/1 | 0.065 |
| 2564/2 | 0.073 |
| 2567/1 | 0.065 |
| 2567/2 | 0.045 |
| 2592 | 0.097 |
| 2593/1 | 0.313 |
| 2593/2 | 0.085 |
| 2593/3 | 0.214 |
| 2598 | 0.004 |
| 2599 | 0.121 |
| 2615 | 0.028 |
| 2627 | 0.101 |
| 2628 | 0.032 |
| योग | 7.212 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मैनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 सितम्बर 2005

रा. प्र. क्र. 15/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-भूसू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.144 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 49 | 0.116 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 75 | 0.024 |
| 76 | 0.004 |
| योग | 0.144 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- रजपुरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनोज कुमार पिंगुवा**, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 15/A-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-पकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.253 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 151/10 | 0.627 |
| 169/5 | 0.137 |
| 142/6 | 0.308 |
| 158 | 0.214 |
| 157/4 | 0.186 |
| 151/16/2 | 0.162 |
| 151/16/1 | 0.186 |
| 151/31 ख | 0.085 |
| 151/36 ख | 0.166 |
| 157/5 | 0.182 |
| योग 10 | 2.253 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

क्रमांक 16/A-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 15/7, 15/11, 19/1 | 0.069 |
| 21/3 | 0.040 |
| योग 2 | 0.109 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मल्हनिया जलाशय की पतरकोनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विकासशील**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th September 2005

CORRIGENDUM

No. 569/Confdl./2005/II-2-1/2005.—In the Order No. 545/Confdl./2005/II-2-1/2005 dated 7th September 2005 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, at Serial No. 2 in Column No. 5 of the table, Sessions Division "Bilaspur" may be read instead of Sessions Division "Janjgir Champa".

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.